सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-1809/JH/2/2024-APCR

दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

जिला उपायुक्त,
जिला - साहिबगंज ,
कलेक्ट्रेट भवन, साहिबगंज,
झारखंड- 816109
Email Id: dc-sah@nic.in

जिला पुलिस अधीक्षक,
जिला - साहिबगंज,
साहिबगंज - झारखंड -816109
Email Id: sp-sahebganj@jhpolice.gov.in

विषय: **श्रीमती खुशबू कुमारी, साहिबगंज के साथ बलात्कार का प्रयास और थाने में मार-पीट एवं गलौज से संबंधित शिकायत ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

16-6-26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:
श्रीमति खुशबू कुमारी,
ग्राम महादेवगनी ,जिला- साहिबगंज
पिन कोड -816109 (झारखंड),
मो. नं. : 7546987186

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-1809/JH/2/2024-APCR

अभ्यावेदिका श्रीमती खुशबू कुमारी, जिला-साहिबगंज (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, बलात्कार के प्रयास, मारपीट एवं जातिसूचक गाली-गलौज के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

Brief of the Matter – Complaint dated 29.06.2024

अभ्यावेदिका श्रीमती खुशबू कुमारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29.06.2024 के अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वे अपनी बहन श्रीमती सरस्वती कुमारी के साथ बकरी हेतु पत्तियां लाने के लिए अम्बाडिहा गई थीं। उसी दौरान कथित रूप से छह अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी बहन को पकड़कर पहाड़ी क्षेत्र की ओर ले जाया जाने लगा। अभ्यावेदन के अनुसार, जब शिकायतकर्ता के पति द्वारा इसका विरोध किया गया तो संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनसे धनराशि की मांग की गई तथा विरोध करने पर मारपीट भी की गई। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि इस घटना के संबंध में शिकायत करने पर पुलिस थाना स्तर पर भी शिकायतकर्ता के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया तथा जातिसूचक गाली-गलौज की गई। अभ्यावेदिका ने आयोग से अनुरोध किया है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें न्याय एवं सुरक्षा प्रदान की जाए।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 23.08.2024 को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, साहिबगंज (झारखंड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), साहेबगंज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या-102/2024, दिनांक 27.06.2024, थाना प्रभारी द्वारा आवेदिका के पति विजय मंडल, उनकी माता, पत्नी एवं ननद चंदा कुमारी के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज, धमकी देने एवं अभद्र व्यवहार करने के आरोप में दर्ज कराया गया था। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में प्राथमिकी में वर्णित आरोपों को सत्य पाया गया। प्रतिवेदन के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों द्वारा थाना परिसर में हंगामा किया गया तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। वहीं, शिकायतकर्ता ने उक्त आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें असत्य बताया तथा आरोप लगाया कि उनके मूल अभ्यावेदन पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

अभ्यावेदिका अपनी शिकायत पुनः संबंधित थाना में प्रस्तुत करें। संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) उक्त शिकायत की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए उसकी जांच सुनिश्चित करें तथा यदि जांच में संज्ञेय अपराध के तत्व परिलक्षित हों, तो विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। की गई कार्रवाई एवं प्राथमिकी (यदि दर्ज की जाए) की प्रति सहित अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया जाए।

आ.आ.लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi